



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19062020-220030
CG-DL-E-19062020-220030

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1755]
No. 1755]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 19, 2020/ज्येष्ठ 29, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 19, 2020/JYAISTHA 29, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2020

का.आ. 1973(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, की अधिसूचना संख्या का.आ. 2106(अ), तारीख 25 जून 2019 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii), में प्रकाशित की गई थी, द्वारा केरल राज्य के कन्नूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (नया एन एच-66) के कि.मी.104/000 से कि.मी.148/000 तक (चेरुवथुर - कन्नूर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 08 अगस्त 2019 को 'मातृभूमि' और 'देशभिमानी' दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और, आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है ;

और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-17 (नया एन एच-66) के कि.मी.104/000 से कि.मी.148/000 तक (चेरुवथुर - कन्नूर खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: केरल		जिले का नाम: कन्नूर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: कन्नूर				
	गांव का नाम: पप्पिनस्सेरी (अरोली)				
1	220/4A	निजी	वेट	0.1346	कल्लुवादी वीटिल कन्नन नायर और अन्य (२२०/११)
2	220/4B	निजी	वेट	0.0188	पूवमकुलथिल कोटिलिला कंदथिल पुथियापुरयाल अब्दुल और अन्य (२२०/१२)
3	224/1	निजी	वेट	0.0278	प्रजित और अन्य (२२४/८)
			कुल	0.1812	

[फा.सं. NHAI/11018/LA/PIU-Kozhikode/Amended 3(a)/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2020

S.O. 1973(E).—Where as by the Notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways Number S.O. 2106 (E), dated the 25th June, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub section (ii) issued under sub section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 17 (New NH-66) on the stretch of land from Km.104.000 to Km.148.000 (Cheruvathur to Kannur Section) in District Kannur in the State of Kerala;

And whereas, the substance of the above said notification has been published in "Mathrubhoomi" and "Deshabhimani" (dailies) both dated 08th August 2019 under sub-Section(3) of section 3A of the said Act;

And whereas, objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without Structure, falling within the stretch of land from KM 104/000 to 148/000 (Cheruvathur to Kannur section) of the National Highway No. 17 (New NH-66) in the State of Kerala

State: KERALA District: KANNUR					
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/ Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Kannur				
	Village: Pappinissery (Aroli)				
1	220/4A	Private	wet	0.1346	Kalluvadi Veetil Kannan Nair & Others 220/11
2	220/4B	Private	wet	0.0188	Poovamkulathil Kottila Kandathil Puthiyapurayil Abdulla & Others 220/12
3	224/1	Private	wet	0.0278	Prajith & Others 224/8
			TOTAL	0.1812	

[F.No. NHAI/11018/LA/PIU-Kozhikode/Amended 3(a)/3D]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.